बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि 26 जुलाई, 1983 ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
शून्य काल की चर्चाएँ :	1—10
(क) विद्यालय भवन को जलाया जाना	
(ख) पटना स्थित कुर्जी अस्पताल में तनाव की स्थिति	
(ग) थाना प्रभारी द्वारा मनमानी	
(घ) इन्टरमेडिएट छात्रों का नामांकन	
(ङ) विद्यालय की स्वीकृति	
(च) बीड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान	
(छ) उपनगर की घोषणा	
(ज) विधान-सभा सदस्य के साथ दुर्व्यवहार	
(झ) ग्रामीणों के बीच आतंक का वातावरण	
(ञ) शिक्षकों का वेतन भुगतान	
(ट) प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई	
(ठ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा फारम में गोलमाल ।	
(ड) बाँध की मरम्मती	
(ढ) निर्दोष व्यक्ति की हत्या	

(थ) कृषि स्नातकों की नियुक्ति।

श्री मो० यासीन—अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग में कृषि निरीक्षक की बहुत आवश्यकता है। अत: कृषि विभाग ने अक्टूबर, 1982 में 54 अनुरक्षित कृषि निरीक्षक पद का विज्ञापन दिया जिसमें मात्र 49 कृषि स्नातक 13 अप्रील, 1983 को अन्तर्वीक्षा में सम्मिलित हुए किन्तु यह मामला अभी तक विभाग में लम्बित पड़ा हुआ है, हरिजन, आदिवासी, अत्यन्त पिछड़ो जाति (एनेक्सचर-1) एवं महिला के कृषि स्नातक उम्मीदवार परेशान हैं। भूखे-प्यासे सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन लोगों की बहाली नहीं की जा रही है। कृषि निदेशालय शब्दों के हेर-फेर में इन गरीब कृषि स्नातकों को परेशान कर रहे हैं और न जाने क्यों सरकार के आदेश नीति का उल्लंघन कर रहे हैं। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि अविलम्ब कृषि निदेशालय उक्त गरीब हरिजन, आदिवासी एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति कृषि स्नातक की नियुक्ति कर कृषि स्नातकों को राहत दे एवं सरकार की नीति का पालन कर किसानों को राहत दिलावे।

(द) बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव द्वारा अनियमितता।

श्री अमरेन्द्र मिश्र—अध्यक्ष महोदय, श्रीमती लक्ष्मी सिंह, सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग के सगे भाई बहन क्रमश: पवित्र चक्रवर्ती सुश्री शुभ्रा चक्रवर्ती एवं सुश्री माला चक्रवर्ती 30वीं० संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षार्थी है और श्रीमती सिंह ने उक्त परीक्षा में परीक्षकों की नियुक्ति, प्रश्न पत्रों की छपाई तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों का संचालन कर आयोग की गरिमा को गिराया है। श्रीमती सिंह ने 50 हजार रु० के फर्नीचर्स एवं साइकिल अनिबंधित फर्म से बिना निविदा के अपने खास व्यक्ति से खरीद कर आयोग को घाटा दिलाया है तथा स्वयं लाभान्वित हुई हैं। आयोग ने गत मई में सर्वसम्मति से उन्हें कहीं अन्यत्र पदस्थापित करने का आग्रह सरकार से किया है परन्तु सरकार की चुप्पी और श्रीमती सिंह का उक्त पद पर बने रहना तथा 31वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में भी पुन: हस्ताक्षेप अपने संबंधियों के परीक्षार्थी रहते, आयोग की गरिमा पर कुठाराघात है।

(ध) चापाकल की व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह--भोजपुर जिलान्तर्गत कोइलवर एवं बड़हरा प्रखंड में पानी पीने की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब नया चापाकल गाड़ने एवं पुराने चापाकल की मरम्मती अतिशीघ्र करायी जाय। गरीब तबके के लोग, हरिजन भूमिहीन

विद्यालय के बच्चे वगैरह को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो रहा है। कुआं का पानी खराब हो गया है जिसके पीने से बीमारी होने की सम्भावना है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अविलम्ब इस पर वह कार्रवाई करे।

अध्यक्ष—यह सूचना पढ़ी जा चुकी है और इसका उत्तर भी हो गया है। अब माननीय सदस्य को केवल पूरक पूछना है।

श्री कृपा शंकर चटर्जी—25 तारीख को जवाब देना था लेकिन उस दिन न कोई सूचना आयी और न जवाब ही दिया गया।

अध्यक्ष—इस विषय पर अल्पसूचित प्रश्न भी था। उसका जवाब हो गया है। उसी वक्त हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि इसका जवाब हो चुका है तो अब इस ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब लाया जाय या नहीं। मैं इसको देख रहा हूँ। देखकर मैं इस पर व्यवस्था दूँगा।

श्री रमेन्द्र कुमार—एक ही विषय पर दोनों था.....

अध्यक्ष—वही तो हम कह रहे हैं। एक ही विषय पर दोनों था जिसमें एक का जवाब हो चुका है।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश—लेकिन ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब आना चाहिए था चूंकि इस पर अभी आपका नियमन नहीं हुआ है।

अध्यक्ष—आपका कहना ठीक है। यह सूचना पढ़ी गयी। इसी बीच जिस दिन इसके लिए समय दिया गया उसी दिन अल्पसूचित प्रश्न का जवाब हो गया।

अब श्री पूर्वे को पूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री राजकुमार पूर्वे—इस विषय पर 4 बार ध्यानाकर्षण सूचना आ चुकी है। एक 8 जुलाई को, फिर 23 मार्च, 1981 को ....

अध्यक्ष—इसको अन्त में रखा जाए तो कोई हर्ज है? इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत-सा ध्यानाकर्षण सूचना अभी पढ़ना है।

श्री राजकुमार पूर्वे—हम जल्दी ही खत्म कर देते हैं।

अध्यक्ष—ऐसा कीजिए कि इसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण सूचना समिति में जाने दीजिए। प्रश्न समिति में आपको ही प्रश्नावली तैयार करना है इसलिए इसको रहने दीजिए। 9 ध्यानाकर्षण सूचना अभी है, इनका निष्पादन करा देने दीजिए।

श्री राजकुमार पूर्वे—तो उस समिति को डायरेक्शन दे दीजिए कि वह 15 दिनों में इसका निष्पादन करा दें।

अध्यक्ष—यह हमारे अधिकार के अन्दर है ?

श्री राजकुमार पूर्वे—आप ऐसा डायरेक्शन दे सकते हैं। और नहीं तो इसके लिए विशेष समिति बना दें ताकि प्रायरिटी देकर इसको वहां किया जाय।

अध्यक्ष—सो हो जायगा।

अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उसपर सरकारी वक्तव्यः

आदिवासियों के नाम पर असामाजिक तत्वों का आतंक।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार यह सही है कि भागलपुर जिला के चानन थाना के अन्तर्गत नावाडीह पंचायत में गत् वर्ष आदिवासियों के द्वारा धान की फसल काट लिया गया जिसके सम्बन्ध में चान्दन थाना काण्ड संख्या 216/217/218/219/220/221/222/233/234 धारा 143/379 भा० द० वि० का काण्ड अंकित किया गया था। जयपुर पंचायत के अन्तर्गत धान काटने की घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है परन्तु जयपुर पंचायत के ही रहनेवालों लोगों की अधिकांश जमीन नवाडीह पंचायत में पड़ती है इसलिए उपर्युक्त कांडों के प्रतिवेदनकर्ता जयपुर पंचायत के ही हैं। उपरचक मरिहा, कुल्हरिया और इनारावरण पंचायत से भी फसल काटने की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है।

पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि सभी केस बटाईदारी के हैं। यह बात सही है कि आदिवासी बटाईदारी पर जमीन जोतते एवं बोते हैं परन्तु कुछ लोगों के बहकावे में आकर भूस्वामियों को ऊपज का हिस्सा नहीं देते हैं। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को आदेश दिया जा रहा है कि भूस्वामियों एवं बटाईदारों के बीच जमीन के मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करें तथा यह सुनिश्चित करें कि भूधारियों को भी उपज का उचित हिस्सा मिला करे।